रजि. सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 443] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 1984/कार्तिक 25, 1906
No. 443] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 1984/KARTIKA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1984

सं. 216/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 768 (अ) :—भारत सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 74/78-

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण-1 से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात ज़िंक आक्साइड पर लागू नहीं होगी ।"

[फा. सं. 95/4/84-सी एक्स-3]

सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 1984

No. 216|84—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 768(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 74|78-Central Excises, dated the 1st March, 1978, namely :—

In the said notification, after the third proviso and before Explanation-I, the following proviso shall be inserted namely :—

"Provided also that nothing contained in this notification shall apply to Zinc Oxide."

[F. No. 95|4|84-CX.3]

C. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984